D-13 Criminal

2

समक्ष माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश

9946

विविध याचिका (एम0पी0) क्रमांक 1596 /94

Filed on 29.4.94.
by Shri N. Saxena
Advocate

रामकुमार पाठक आयु 25 वर्ष

आत्मज श्री मुकुन्द लाल पाठक

निवासी-जिला-बिलासपुर-(म0प्र0)--------याचिकाकर्ता

के0जेल रायपुर में बंदी

R. to D.R.
Dt. 29.4.94

वि रु द्ध

1. मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा सचिव, गृह विभाग (जेल) भोपाल.
2. श्रीमान अधीक्षक महोदय, केन्द्रीय जेल रायपुर.
3. परिवीक्षा मंडल भोपाल द्वारा अधीक्षक केन्द्रीय जेल रायपुर

----------प्रत्यर्थीगण

याचिका अन्तर्गत अनुच्छेद 226/227 भारतीय संविधान अधिनियम एवं धारा 2 नियम (4) मध्यप्रदेश बंदी परिवीक्षाधीन सम्मोचन अधिनियम, 1954.

XI-HC-22

15

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

आदेश पत्रक

मामला क्रमांक WP 1576/94 सन् 200

..... विरुद्ध .....

आदेश का दिनांक आदेश क्रमांक सहित	आदेश हस्ताक्षर सहित	कार्यालयीन मामलों में डिप्टी रजिस्ट्रार के अन्तिम आदेश
	5.7.2005 When the matter is called out, none present on behalf of the petitioner. Shri Parag Kotecha, P.L. for the State. The petitioner has filed this petition in the year 1994 for releasing him under the Prisoner Release on Probation Act, 1954, as he was lodged in Central Jail, Bilaspur under judgment of conviction under Section 302 of the IPC dated 7.10.1985. It appears that this petition has become infructuous by efflux of time. Therefore, it is dismissed as having become infructuous. Sd/- L.C.BHADOO Judge	

(पीछे देखिये)